**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2912**

**उत्तर देने की तारीख : 12.12.2024**

**मणिपुर में एमएसएमई को बहाल करना**

**2912. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर मणिपुर में हाल में चल रहे संकट के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और एमएसएमई क्षेत्र को इससे कितना नुकसान हुआ तथा इस कारण आजीविका की हानि और स्थानीय व्यवसायों में व्यवधान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का मणिपुर में एमएसएमई क्षेत्र में सुधार के लिए कोई विशेष राहत पैकेज या लक्षित उपाय प्रस्तुत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य में आर्थिक स्थिरता बहाल करने के लिए वित्तीय सहायता, ऋण सहायता और अन्य पहलों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क) से (ग) : मणिपुर राज्य में चल रहे मुद्दों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, अभी तक, मणिपुर के एमएसएमई क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है। दिनांक 10.12.2024 तक, उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म पर 1,22,323 एमएसएमई पंजीकृत किए गए हैं।

सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में कई पहलें शुरू की हैं। उनमें से कुछ पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

i. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड अपनाना।

ii. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

iii. व्यवसाय की सुगमता के लिए दिनांक 1.7.2020 से एमएसएमई के लिए "उद्यम पंजीकरण" शुरू किया गया।

iv. एमएसएमई की सहायता सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने और शिकायत निवारण के लिए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" का शुभारंभ किया गया।

v. दिनांक 2.7.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

vi. एमएसएमई की स्थिति में विकासात्मक परिवर्तन के मामले में गैर-कर लाभ 3 वर्ष के लिए बढ़ाए गए हैं।

vii. प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.1.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है।

viii. एमएसएमई को भुगतान में देरी के मुद्दे का निपटान करने के लिए, आरबीआई ने कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेडस) की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से कई फाइनेंसरों के माध्यम से हैं। एमएसएमई की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके माध्यम से अपने व्यापार प्राप्तियों को नकदी में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना सं. आ. 7845 (अ) द्वारा ट्रेडस प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑन-बोर्डिंग के लिए खरीदारों के टर्नओवर की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए करने की अधिसूचना जारी की है।

इसके अतिरिक्त, मणिपुर सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित कुछ पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

i. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक के ऋण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की इकाइयों को वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की अतिरिक्त छूट।

ii. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक के ऋण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में स्थित एमएसई को अतिरिक्त 5% (अर्थात 80%) गारंटी कवरेज।

iii. सरकार ने 2021-26 की अवधि के दौरान नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों के आधुनिकीकरण, नए और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं के विकास और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 295.00 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय आवंटित किया है।

*****